विभाग का नाम : खाद्य, सम्भरण एवं उपभोक्ता कार्य कलाप विभाग आपूर्ति
विभाग का पता : के–ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली.

अतारांकित प्रश्न संख्या– 135
दिनांक : 30 जुलाई, 2021
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री ऋतुराज गोविन्द

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
क)	किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में राशन कार्ड के कितने आवेदन आए, पूर्ण विवरण दें;	किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों (01.04.2016 से 31.03.2021) में 3985 नए राशन कार्ड के लिए आवेदन आए हैं।
ख)	इन आवेदकों के राशन कार्ड कब तक बना दिये जाएंगे;	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत नए राशन कार्ड जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। विभाग की नीति के अनुसार "प्रथम आगम प्रथम निर्गम" (FIFO) के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाते हैं। दिल्ली के लिए कुल 72,77,995 लाभार्थियों की सीमा निश्चित की गई है जो कि पहले ही पूरी हो चुकी है। कार्ड निरस्त होने व नाम कटने से रिक्तियां (Vacancy) होने पर "प्रथम आगम प्रथम निर्गम" (FIFO) के अनुसार नए कार्ड बनाए जा सकेगें।
ग)	राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड में नये नाम कब तक जोड़े जाएंगे;	उपरोक्तानुसार ।
घ)	कुछ समय तक राशन न लेने के कारण जिन राशन कार्ड धारकों का राशन बंद कर दिया गया है उनका विवरण क्या है; और	किराड़ी विधानसभा क्षेत्र जिन राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड (01.05.2018 से 31.12.2018) तक सर्कल एफ.एस.ओ. के द्वारा निरस्त कर दिए गए है। उनकी संख्या 4580 है। सी.डी. संलग्न है।
ङ)	उन्हें कब से पुनः राशन देना शुरु किया जाएगा?	ऐसे कार्डधारियों के निवेदनों को मण्डल कार्यालय द्वारा स्टेट्स रिपोर्ट संलग्न करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारियों (ADM) को जिनको डी0जी0आर0ओ0 नामित किया गया है, प्रेषित कर दिया जाता है। इसके पश्चात् डी0जी0आर0ओ0 के आदेशानुसार मण्डल कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही (स्वीकृत/अस्वीकृत) की जाती है।

Secretary-Cum-Commissioner
Deptt. of Food,Supplies & Consumer Affairs
Govt. of N.C.T. of Delhi
K- Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate
New Delhi- 110002